निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **26** वर्ष 217-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार के माह 03/2014 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सन्हा,सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी,एवं श्री सत्यवीर संह, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 250/8/2017 से 30/08/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

(ii) <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

(iii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iv) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
								स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख	आ धक्य (+) लाख	बचत (-) लाख	आ धक्य (+) लाख	बचत (-) लाख
14-15	-	-	-	53.59	-	-	41.93	-	11.66		
15-16	-	-	-	65.08	-	--	60.53	-	4.55		
16-17	-	-	-	56.74	-	-	49.21	-	7.57		
17-18	-	-	-	48.64	-	-	24.01	-	24.63		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष,लोक निर्माण वभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

1.क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1,लोक निर्माण वभाग,देहरादून

1.अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार

1. अ धशासी अ भयन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण वभाग,रुड़की

2.अ धशासी अ भयन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण वभाग,लक्सर

3.अ धशासी अ भयन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण वभाग,हरिद्वार

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2015 एवं04/2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तरः1- गुणवत्ता पूर्ण स्टील का प्रयोग नहीं कया जाना।

अर्द्ध-कुंभ मेला 2016 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में मायापुर स्कैप चैनल एवं गंगा नदी स्थित दक्षद्वीप एवं बैरागी कैम्प को जोड़ने हेतु तथा बैरागी कैम्प से गौरीशंकर द्वीप को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर pile सेतु , मायापुर स्कैप चैनल के ऊपर वश्व कल्याण आश्रम के सामने अर्द्ध-अस्थायी स्टील गर्डर pile (1.50 लेन) सेतु का निर्माण कया जाना था। इस कार्य की लागत `149.56 लाख थी और अनुबंध संख्या 03/SE (CC) /2015-16 दिनांक 25.05.2015 के द्वारा इस कार्य को संपादित कया जा रहा था। मा सक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार मार्च 2017 तक `1239.95 लाख की रा श व्यय हो चुकी थी।

कार्यालय द्वारा संधारित की जा रही गुणवत्ता संबन्धित सं चका से ज्ञात होता है क सेतु के निर्माण में SAIL एवं स्थानीय मेक RIMJHIM की स्टील गर्डर का प्रयोग कया गया था। इस स्टील गर्डर के गुणवत्ता की जांच संचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की के द्वारा करवायी गयी थी। संचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की के पत्रांक- 4676/शो0म0अ0कु0मे0-2016 दिनांक 20.11.2015 से ज्ञात होता है क अ धशासी अ भयन्ता, स्थापना खंड, रुड़की ने अपने पत्रांक सी-1866 दिनांक 03 नवम्बर 2015 के द्वारा अवगत कराया पाया गया था क SAIL द्वारा नि र्मत material पूरे मापदण्ड के अनुसार सही थी ले कन RIMJHIM मेक की स्टील गर्डर में में कार्बन की प्रतिशतता अ धक मात्रा में थी और गर्डर के dimension में भी एकरूपता नहीं पायी गयी थी। इस जांच के आलोक में अधीक्षण अ भयन्ता (संचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की) द्वारा लोक निर्माण वभाग से अनुरोध कया गया था क Steel Truss Bridge के गर्डर एवं प्लेट में SAIL/TATA/JINDAL/ राष्ट्रीय इस्पात निगम जैसी प्रतिष्ठित फ़र्मों द्वारा नि र्मत स्टील का प्रयोग कया जाए ता क भ वष्य में कसी दुर्घटना से बचा जा सके। पुनः प्रमुख अ भयंता, लोक निर्माण वभाग द्वारा भी RIMJHIM मेक के स्टील का प्रयोग कए जाने के 03 प्रतिशत की कटौती के आदेश दिये गए थे और साथ ही भ वष्य में प्रतिष्ठित फ़र्मों द्वारा नि र्मत स्टील का प्रयोग कया जाए।

उपरोक्त इं गत कए जाने पर, वृत द्वारा बतलाया गया क RIMJHIM मेक के स्टील में कार्बन की मात्रा थोड़ी अ धक थी और दोनों मेक के स्टील फ़िज़िकल टेस्ट में सही पाये गए थे।

वृत का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इस बिन्दु पर प्रमुख अ भयंता, लोक निर्माण वभाग के पत्र दिनांक 10.12.2015 के द्वारा भी संज्ञान लया गया था और RIMJHIM मेक के स्टील का प्रयोग कए जाने के कारण 03 प्रतिशत की कटौती के आदेश दिये गए थे और साथ ही भ वष्य में प्रतिष्ठित फ़र्मों द्वारा नि र्मत स्टील का प्रयोग कया जाए।

इस प्रकार, `1239.95 लाख से नि र्मत सेतु जिसका निर्माण RIMJHIM मेक की स्टील गर्डर में में कार्बन की प्रतिशतता अ धक मात्रा में थी और गर्डर के dimension में भी एकरूपता नहीं पायी गयी थी।

<u>भाग-II (ब)</u>

<u>प्रस्तर (2):- प्राक्क लत मात्रा से अ धक में कार्य कराये जाने के कारण व्याया धक्य:-</u>

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के वधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम ग्राम गणेशपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग) उत्तरप्रदेश की सीमा से दिग्गीवाला होते हुए बंजारेवाला बंद मार्ग एवं causeway का निर्माण के लए रु 1087.28 लाख थी। कार्य सम्पादन के लए सतम्बर 2014 में रु 875.74 लाख की लागत से अनुबंध गठित कए गए थे। वचलन स्वीकृत होने तक रु 1071.24 लाख की रा श व्यय हो चुकी थी और कार्य पूर्ण हो चुका था।

कार्यालय के वचलन संबन्धित प्रतिवेदन से ज्ञात होता है क दस उपकार्य में 13.06 प्रतिशत से लेकर 986 प्रतिशत का वचलन हुआ था जिसके कारण इन उप-कार्यो में रु.222.44 लाख की व्याया धक्य हुई थी जब क तीन उप-कार्यो में रु 36.71 लाख की बचत हुई थी। इस प्रकार, निवल रूप से अनुबंध के सापेक्ष रु 1.95 करोड़ की वृद् ध हुई थी। दस उपकार्य, जिसमें 13.06 प्रतिशत से लेकर 986 प्रतिशत का वचलन हुआ था, में से पाँच उप-कार्यो में वचलन 116.81 प्रतिशत से लेकर 986 प्रतिशत तक हुई थी और इसकी कुल रा श रु 131.15 लाख थी जब क लेखा परीक्षा के अनुसार यह रा श रु 99.50 लाख आती है जिसका मूल कारण नीचे व र्णत सारणी क्रम संख्या 2, 3, 4 एवं 5 में अंतर का आना है। इन कारणो से रु 31.65 लाख का अ धक वचलन स्वीकृत हुआ था। उपरोक्त पाँच उप-कार्यो में वचलन का ववरण निम्न प्रकार से सारणीबद्ध कया गया है।

(` लाख में)

क्रम संख्या	उपकार्य का नाम	प्राक्क लत मात्रा	संपादित मात्रा	अंतर	मात्रा में प्रतिशत वृद् ध	दर	रा श में बढ़ोतरी	
							As per variation	लेखा परीक्षा के अनुसार
1	**Providing concrete for**	**123.39**	**1340**	**1217**	**986**	**5068.00**	61.67	**61.67**
2	**Providing and laying of reinforced cement concrete in**	**109.39**	**235.2**	**125.80**	**114.98**	**5858.20**	**7.33**	**7.37**
3	**Providing and fixing of**	**18.22**	**77.91**	**59.69**	**327.59**	**5787.20**	**34.48**	**3.45**
4	**Concrete with cement coarse sand..**	**112.5**	**485**	**372.5**	**331.14**	**3848.65**	**14.34**	**14.34**

क्रम संख्या	उपकार्य का नाम	प्राक्कलित मात्रा	संपादित मात्रा	अंतर	मात्रा में प्रतिशत वृद्धि	दर	राशि में बढ़ोतरी	
							As per variation	लेखा परीक्षा के अनुसार
5	**Construction of unreinforced concrete**	**183.75**	**431**	**247.3**	**134.57**	**5124.00**	**13.44**	**12.67**
कुल							131.26	99.5

इस ओर इंगित किए जाने पर वृत द्वारा बतलाया गया कि इस मार्ग पर दो नदियां पड़ती है जिन पर दो काजवे का निर्माण प्रस्तावित था। काजवे के कार्यस्थल पर तकनीकी दृष्टि से काजवे के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में नदी के बहाव व स्कौरिंग डेप्थ को मद्धेनजर रखते हुए 3.50 मीटर गहरी आरसीसी एम-30 की करटेन ढाल बनाया जाना अति आवश्यक था, जिस हेतु मुख्य अभियंता स्तर-1 देहरादून द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी। हालांकि अधिक स्वीकृत विचलन पर उत्तर लेखा परीक्षा के निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रतिउत्तर में वृत का उत्तर इस दृष्टिकोण से मान्य नहीं है क्योंकि पाँच उप-कार्यो के मात्राओ में 116.81 प्रतिशत से लेकर 986 प्रतिशत तक का विचलन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वस्तुस्थिति की सर्वे एवं तत्पश्चात प्राक्कलन की स्वीकृति के औचित्य को प्रश्नांकित करता है।

अतः सर्वे एवं तत्पश्चात प्राक्कलन की स्वीकृति के औचित्य की प्रांसगिकता के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- 11 कार्यों (16.67 प्रतिशत) का अनुश्रवण न किया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत, लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुबंध पंजिका से ज्ञात होता है क वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 27, 27 एवं 34अनुबंध का गठन अधीक्षण अ भयन्ता के स्तर से कया गया था। इन 88 गठित अनुबंधों को मार्च 2017 तक पूर्ण कया जाना अपे क्षत था कन्तु केवल में से 70 कार्यों जिसमें से 06, 09, एवं 03 कार्य क्रमशः वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 से संबं धत थे।

उपरोक्त तथ्यो यह स्पष्ट परिल क्षत होता है क कार्य समापन की दर लगभग 79.54 प्रतिशत है। पुनः कार्य के भौतिक पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है क 66 आवंटित कार्यो में से केवल 55 का ही पर्यवेक्षण /निरीक्षण कया गया था तथा शेष 11 कार्य अपर्यवे क्षत रह गये थे। इस प्रकार अधीक्षण अ भयंता द्वारा प्रतिशत कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं दिया गया।

कार्यालय द्वारा यह बतलाया गया क अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वृत्तीय कार्य में व्यस्तता के कारण वांछित निरीक्षण 16.66 प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाया था।

कार्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु अतिआवश्यक है।

अतः अनुश्रवण का प्रकरण शासन की संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या प्रथम लेखापरीक्षा है	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

प्रथम लेखा परीक्षा है

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-**V**</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम		पदनाम
1.	Shri B.C. Binwal	S.E.	22/12/11 to 30.08.12
2.	Shri Dayanand	S.E.	31/08/12 to 29.08.13
3.	Shri Rajender Goyal	S.E.	29.08.13 to 12.08.15
4.	Shri R.C. Sharma	S.E.	12.08.15 to 16.06.16
5.	Shri Pramoad Kumar	S.E.	17.06.16 to 21.07.16
6.	Shri S.K. Rai	S.E.	21.07.16 to present

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   1. लागू नहीं

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत। क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड,इन्दिरा नगर ,देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

लेखापरीक्षा दल संख्या-**04**

श वर -हरिद्वार